

पत्रांक : १९७० / आयु०क०उत्तराखण्ड / धारा-५७ अनु० / वाणि०कर / २०१५-१६ / देहरादून ।

कार्यालयः—आयुक्त कर उत्तराखण्ड ।

(धारा-५७, अनुभाग)

देहरादून: दिनांक: १४ जून-२०१५

मुलांड

प्रार्थना पत्र संख्या — १३/२८.१२.२०१४

द्वारा — श्री सुधीर कुमार जैन, खण्डेलवाल रस्सी भण्डार, गुलजारी मल धर्मशाला रोड, मुरादाबाद-२४४००१ (उत्तर प्रदेश)

उपस्थिति — श्री सुभाष चन्द्र विश्नोई, अधिवक्ता फर्म।

निर्णय का दिनांक — जून, २०१५

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००५ की धारा-५७ के अन्तर्गत निर्णय

श्री सुधीर कुमार जैन, खण्डेलवाल रस्सी भण्डार, गुलजारी मल धर्मशाला रोड, मुरादाबाद-२४४००१ (उत्तर प्रदेश) द्वारा धारा-५७ के अन्तर्गत यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में प्लास्टिक निवाड़, सूत निवाड़, नारियल बान, प्लास्टिक बान, सन बान, कांस बान पर कर की दर स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

व्यापारी के प्रार्थनापत्र पर ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य०), वाणिज्य कर, काशीपुर सम्भाग, काशीपुर से आख्या प्राप्त की गई, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम-२००५ की धारा-४ की उपधारा (२) के खण्ड-क के अन्तर्गत अनुसूची-I के क्रमांक-४० पर निवाड़, बान एवं बान रस्सी (Newar, baan and baan rassi) का उल्लेख किया गया है। कांस बान का निर्माण कांस घास एवं सन बान का निर्माण सन की लकड़ी को गलाने के पश्चात प्राप्त रेशों की हाथ से बटाई करने के उपरान्त किया जाता है, जो अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-४० से आच्छादित होती है। इसके अतिरिक्त नारियल बान, प्लास्टिक बान, प्लास्टिक निवाड़ एवं सूत निवाड़ उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं हैं। अतः इन पर अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति १३.५ प्रतिशत की दर से कर देय है।

प्रार्थनापत्र की सुनवाई हेतु श्री सुभाष चन्द्र विश्नोई, अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा बताया गया कि बान व निवाड़ दोनों ही वस्तुएं विभिन्न प्रकार के कच्चे माल से निर्मित की जाती हैं तथा सामान्य तौर पर उक्त दोनों ही श्रेणी की वस्तुओं का प्रयोग चारपाई/पलंग, पीढ़ा और कुर्सी आदि बुनने में किया जाता है, जिन्हें अनुसूची-I के क्रमांक-४० पर निवाड़, बान एवं बान रस्सी के नाम से विज्ञापित किया गया है। अतः उनके द्वारा प्लास्टिक निवाड़, सूत निवाड़, नारियल बान, प्लास्टिक बान, सन बान, कांस बान को अनुसूची-I के क्रमांक-४० से आच्छादित मानते हुए करमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को संलग्न किया गया है।

धारा—57 के प्रार्थनापत्र एवं विभागीय मत का अवलोकन किया गया। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची—I की प्रविष्टि संख्या—40 निम्न प्रकार है :—

निवाड़, बान एवं बान रस्सी

(Newar, baan and baan rassi)

उपरोक्त प्रविष्टि से स्पष्ट है कि निवाड़, बान एवं बान रस्सी उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत करमुक्त है। संदर्भित प्रविष्टि में विशिष्ट रूप से निवाड़, बान एवं बान रस्सी को करमुक्त किया गया है। Common Parlance में निवाड़ का अर्थ रुई के काते गए धार्गों से निर्मित निवाड़ (सूत निवाड़) से होता है। इसी प्रकार सामान्य रूप से बान एवं बान रस्सी का अर्थ घास से निर्मित बान व बान रस्सी से है। चूंकि कांस बान का निर्माण कांस घास एवं सन बान का निर्माण सन की लकड़ी को गलाने के पश्चात प्राप्त रेशों से किया जाता है, अतः उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची—I की प्रविष्टि संख्या—40 से सूत से निर्मित निवाड़, कांस बान व सन बान आच्छादित होंगे।

इस प्रकार सूत निवाड़, कांस बान व सन बान उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची—I की प्रविष्टि संख्या—40 से आच्छादित होने के कारण करमुक्त हैं तथा प्लास्टिक निवाड़, प्लास्टिक बान, सूत बान एवं नारियल बान उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं होने के कारण 13.5 प्रतिशत की दर से कराधेय है।

तदनुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का निर्स्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक—पृथक भेजी जाए।


(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

१९७०

पृ० ०० सं० / दिनांक : उक्त

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इंदिरा नगर, देहरादून।
- 3— एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून/कुमाँऊ जोन, रुद्रपुर।
- 4— एडिशनल कमिशनर (आडिट) / (प्रवर्तन) वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून।
- 5— समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य०) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनरथ अधिकारियों/बार एसेसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6— ज्वाइन्ट कमिशनर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

- 7— ज्वाइन्ट कमिश्नर (विडिओशायर / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार / रुद्रपुर।
- 8— असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, खण्ड-3, काशीपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 9— मौजू शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर, Web-Information Officer को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त को वाणिज्य कर की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 10— आईटीओ अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश रक्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
- 11— नेशनल लॉ हाउस बी-2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
- 12— नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस-15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
- 13— लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रोट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
- 14— कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
- 15— विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।



आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड